

शीपांक क्र. - 892

Date - 1/4/2024

अनुसूची 21-प्रथम विभाग 112।

सम्पत्ति अन्वेषण-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं. 763 आवेदन सं. 763  
 बैंक बी. बी. Central Bank of India आवेदन सं. 763  
 संविधान के अन्तर्गत निर्धारित शब्दों पर और अवधारणों का स्वीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर उल्लेखित की प्रभावित करने वाले सम्पत्तियों और अवधारणों के बारे में सही हैं और उचित सम्पत्ति अनुसंधानों में ता. 19.04.20 से ता. 1st July तक तलाश की गई और वेही तात्काली के बाद किन्हीं सम्पत्तियों और अवधारणों का प्राप्त किया है।

क्रम सं.	क) संपत्ति का विवरण	निष्काशन की तारीख	ख) दस्तावेज प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के प्रति निर्देश		
				निष्काशक	राशेदार	पृष्ठ सं.	वर्ग	पृष्ठ
	Manza no - 03, <del>Berampura</del> , <del>Chhatra no - 29</del> (old), 220 (new)							
	Old Plot no - 91 & 100, New Plot no - 110, Area 16.47 Acre							

with

क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें। B. B. Shukla  
 ख) 1. संपत्ति-पत्र की दशा में व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। यहाँ, कि इनके बारे में उल्लेख है।  
 2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

दि यह भी प्रमाणित करता है कि उपरोक्त संव्यवहार और अवधारों पर छेड़, उक्त सम्पत्ति की प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार कबू पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर) *[Signature]*

(सुबनाम) - *clerk*

तलाशी पर सत्यापन और प्रमाणपत्र की नोंद निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) *[Signature]*

(सुबनाम) - *clerk*

कार्यालय *Dist sub Registrar alwar*  
*Shanbaid*

तारीख *11/4/14*



*[Signature]*

निबन्धन पदाधिकारी एवं हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं व आवेदक द्वारा गथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण की अनुसूची पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी इन्हीं सम्पत्तियों की निश्चितता दातावेजों में दिखाया गया हो; तो शैली दातावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्स्फेरेंस) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) निबन्धन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति बहिष्को और अनुक्रमणियों (इन्हेवरा) की प्रविष्टियों देखाता चाहते हो, अथवा जो उनका प्रतिनिधि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिश्चित सम्पत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करना होगा। शिक्षित गरीब व गुणवान करने पर बहिष्को और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने गहराक सत्यापनी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की थिरी भूत के लिए जितनी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उपरोक्त पत्र में संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक-असल न किये गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

*Search made by me*  
*[Signature]*  
*Search made by*  
*[Signature]*